# दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

## कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 05.10.2017 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रो0 विजय कृष्ण सिंह | कुलपति / अध्यक्ष |
| 2. | प्रो0 (श्रीमती) शैलजा सिंह | सदस्य |
| 3. | प्रो0 राम प्रकाश | सदस्य |
| 4. | प्रो0 शोभा गौड़ | सदस्य |
| 5. | प्रो0 चन्द्रशेखर | सदस्य |
| 6. | प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता | सदस्य |
| 7. | डॉ0 रजीउर रहमान | सदस्य |
| 8. | डॉ0 (श्रीमती) मधु सत्यदेव | सदस्य |
| 9. | डॉ0 मानेन्द्र प्रताप सिंह | सदस्य |
| 10. | डॉ0 स्वयं प्रकाश लाल | सदस्य |
| 11. | श्री एस0वी0एम0 त्रिपाठी | सदस्य |
| 12. | श्री पी0एन0 सिंह, लेखाधिकारी | कार्यवाहक वित्त अधिकारी |
| 13. | श्री शत्रोहन वैश्य, कुलसचिव | सचिव |

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य प्रो0 गोपाल प्रसाद, आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रो0 सुनीता मुर्मू, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं प्रो0 श्रीकान्त दीक्षित, आचार्य, भूगोल विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य प्रो0 शोभा गौड़, आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रो0 चन्द्रशेखर, आचार्य, विधि विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रो0 एस0के0 सेनगुप्ता, आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं डॉ0 मधु सत्यदेव, प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् कुलसचिव को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुलसचिव ने कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए क्रमवार कार्यसूची प्रस्तुत की–

| बिन्दु संख्या | बिन्दु |
|---|---|
| 1. | कार्यपरिषद् ने डॉ0 सुष्मिता भट्टाचार्या, सहयुक्त आचार्य, अंग्रेजी विभाग के आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 25.08.2011 की संस्तुतियों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 1212 / एसबी0 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2017 पर विचार किया।<br>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 1212 / एसबी0 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2017 के निम्नलिखित क्रियात्मक अंश –<br>Having considered the rival contentions of the parties and in the light of the order passed by the Hon'ble Apex Court, recommendation of the Selection Committee with regard to the fact that on the same very ground the juniors to the petitioner were promoted under the CAS Scheme, the petitioner is also entitled for |

| | |
|---|---|
| | promotion from the post of Reader to the post of Professor w.e.f. her eligibility under the CAS Scheme, in the result the writ petition is allowed, with cost in the following terms :<br>1. We hereby quash the last line of the letter dated 2.7.2012 contained as Annexure No.-1 which contains "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्णय दिनांक 29. 02.2012 के आलोक में" and Executive Council resolution dated 3.7.2012 bearing Agenda No.0 36-A contained as annexure No.-2 to the writ petition.<br>2. In light of the recommendations of Selection Committee the petitioner is entitled to be considered for promotion to the post of Professor under the CAS Scheme from the date of her eligibility under CAS Scheme with all consequential benefits.<br>पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में डॉ0 सुष्मिता भट्टाचार्या, सहयुक्त आचार्य, अंग्रेजी विभाग के आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति की बैठक दिनांक 25.08.2011 की संस्तुति का बन्द लिफाफा खोला जाय। चयन समिति की संस्तुति सम्बन्धी लिफाफा खोले जाने के उपरान्त चयन समिति की संस्तुति को स्वीकार करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि डॉ0 सुष्मिता भट्टाचार्य को उपाचार्य से आचार्य पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाय तथा आचार्य पद के अर्हता की तिथि का निर्धारण कुलसचिव कार्यालय विहित प्रावधान के अन्तर्गत किया जायेगा। |
| 2. | कार्यपरिषद् ने डॉ0 संगीता पाण्डेय, सहयुक्त आचार्य, समाजशास्त्र विभाग के आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु आहूत चयन समिति की बैठक दिनांक 04.02.2010 की संस्तुतियों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 54118/2013 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2017 पर विचार किया।<br>सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 54118/2013 में पारित आदेश दिनांक 11.09.2017 के निम्नलिखित क्रियात्मक अंश –<br>Accordingly, the impugned order dated 27-05-2013 passed by the Chancellor, Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University as well as disapproval of the UGC dated 05-05-2010 are hereby set asied and writ petition is allowd.<br>The matter is remitted back to the Executive Council of Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University to consider the case of the petitioner a fresh in the light of the aforesaid judgement as well the order passed by this Court. The matter is lingering since 2012, therefore, the Vice-Chancellor will be well advised call a meeting of Executive Council say within a period of one month from the date a certified copy of the order is produced before the Committee of Management and take a decision in accordance with law.<br>पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में डॉ0 संगीता पाण्डेय, सहयुक्त आचार्य, समाजशास्त्र विभाग के आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति की बैठक दिनांक 04.02.2010 की संस्तुति का बन्द लिफाफा खोला जाय। चयन समिति की संस्तुति से सम्बन्धी लिफाफा खोला गया एवं चयन समिति की संस्तुति को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया गया कि उपाचार्य से आचार्य पद पर प्रोन्नति प्रदान की जाय तथा आचार्य पद के अर्हता की तिथि का निर्धारण कुलसचिव कार्यालय द्वारा विहित प्रावधान के अन्तर्गत किया जायेगा।<br>उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर कार्यपरिषद् के माननीय सदस्य प्रो0 राम प्रकाश, आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ने अपनी मौखिकी आपत्ति दर्ज करायी। |

| | |
|---|---|
| 3. | कार्यपरिषद्, विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अभियन्ता के रिक्त पद पर निश्चित मानदेय के आधार पर सेवा लेने पर, कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2017 के बिन्दु संख्या– 21 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में दिनांक 29.08.2017 को चयन समिति आहूत की गयी थी, जिसमें कोई भी अभ्यर्थी अर्ह नहीं पाया गया। विश्वविद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान में विश्वविद्यालय अभियन्ता का एक एवं अवर अभियंता के रिक्त तीन पदों के सापेक्ष सेवानिवृत्त एक सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं एक अवर अभियन्ता (सिविल) से निश्चित मानदेय के आधार पर सेवा लेने पर विचार किया।<br>**सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान में विश्वविद्यालय अभियन्ता का एक एवं अवर अभियन्ता के रिक्त तीन पदों के सापेक्ष सेवानिवृत्त एक सहायक अभियन्ता (सिविल) एवं एक अवर अभियन्ता (सिविल) से निश्चित मानदेय के आधार पर सेवा लेने हेतु विज्ञापन निकालकर साक्षात्कार करते हुए नियुक्ति कर ली जाय।** |
| 4. | अध्यक्ष की अनुमति से विश्वविद्यालय एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु से सम्बन्धी शासनदेश संख्या–3/2017/730/सत्तर–1–2017–16(56)/2016 दिनांक 27 सिम्बर, 2017 पर विचार करते हुए उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 50 (6) में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा स्वीकृत परिनियम **"परन्तु अग्रतर यह भी कि राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 62 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात 02 वर्ष का सेवाविस्तार प्रदान किया जायेगा"**, को विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 15.24 तथा 16.15 में यथास्थान समाहित करने सम्बन्धी आदेश से अवगत हुई एवं इसको **विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 15.24.3 तथा 16.15.1 में यथास्थान समाहित करने का अनुमोदन प्रदान किया।** |

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव
सचिव

कुलपति
अध्यक्ष